



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना निदेशक का कार्यालय, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, एन.एच.ए.आई.
कॉम्प्लेक्स, कान्हा, पोस्ट भीतीया, धाना गोविन्दपुर, धनबाद-८२८१०६ (झारखण्ड)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Office of the Project Director, Project Implementation Unit, NHAI Complex
Kandra, P.O. Bhitia, P.S. Govindpur, Dhanbad-828109 (Jharkhand)

दूरभाष / Ph. : 06540-283089
06540-283090

फैक्स / Fax : 06540-283184

ईमेल / E-mail : dhan@nhai.org
nhaidhanbad@yahoo.in

पत्रांक - 11015/5/पीडी/डीएचएन/एच/11015/709
सेवा में,
उपायुक्त,
रामगढ़।

अगस्त, 12, 2021

विषय: भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत कि०मी० 44.264 से कि०मी० 55.650 तक एन०एच० 23 (जैना मोड़-गोला सेक्शन) एवं कि०मी० 55.650 से कि०मी० 71.323 तक एन०एच० 320बी (गोला-ओरमांझी सेक्शन) के चौड़ीकरण/चार लेन के निर्माण हेतु रामगढ़ जिला अन्तर्गत संशोधित सूची अनुसार विभिन्न मौजाओं में अधिग्रहित होने वाली जंगल/गैरमजूरुआ जंगल झाड़ी भूमि हेतु FRA & FCA पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

- प्रसंग : 1) M/s C.E. Testing Company Pvt. Ltd. का पत्र सं० 1129 दि० 16.04.2021.
2) इस कार्यालय का पत्रांक सं० 355 दिनांक 17.06.2021.

महाशय,

उक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत कि०मी० 44.264 से कि०मी० 55.650 तक एन०एच० 23 (जैना मोड़-गोला सेक्शन) एवं कि०मी० 55.650 से कि०मी० 71.323 तक एन०एच० 320बी (गोला-ओरमांझी सेक्शन) के चौड़ीकरण/चार लेन के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जा रहा है, जिसका 3(A) गजट प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 29.01.2021 एवं 12.04.2021 में हो चुकी है।

उक्त के संबंध में भवदीय को सूचित करना है कि पूर्व में इस कार्यालय के द्वारा पत्रांक सं० 355 दिनांक 17.06.2021 से परियोजना के कि०मी० 44.264 से कि०मी० 55.650 तक के लिए 8 मौजाओं हेतु रकवा 18.3265 हे० जंगल/गैरमजूरुआ जंगल झाड़ी भूमि की सूची तैयार कर हस्तांतरण हेतु आपके स्तर से FRA & FCA पत्र उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था।

परन्तु, घाटी क्षेत्र में अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण होने के कारण से उक्त सूची के भूमि में परिवर्तन किया गया है। जिसका संशोधित सूची रकवा 34.8258 हे० जंगल/गैरमजूरुआ जंगल झाड़ी भूमि की विवरणी तैयार कर पुनः भवदीय को उपलब्ध कराया जाता है ताकि आपके स्तर से FRA & FCA हेतु अनापत्ती प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा सकें।

अतएव, जंगल/गैरमजूरुआ जंगल झाड़ी भूमि हेतु तैयार की गई संशोधित सूची भवदीय को समर्पित करते हुए सादर अनुरोध है कि सूची में वर्णित मौजावार प्लॉटों के हस्तांतरण हेतु आवश्यक कार्यवाई करते हुए FRA & FCA प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कृपा किया जाए।

सधन्यवाद।

अनु० - यथोक्त।

विश्वासभाजन

Sudhir Kumar

(Sudhir Kumar)
Project Director

१८

१

